दिनांक 03.03.2023 को मंडल आवास समिति एवं कॉलोनी केयर कमिटी की बैठक की कार्यवृत्त।

उपस्थिति

(सर्वश्री)			(सर्वश्री)		
1	योगेश कुमार	अमरेप्र–।	7	सुमित कुमार	मयाइं (टीएस–।।)
2	दीपक राज राय	मकाधि (प्रभारी)	8	जय प्रकाश	समविइं (सामान्य)
3	अभिषेक कुमार	वमसिदूई	9	चन्द्र किशोर	सकाधि–।
4	सुदर्शन पाण्डेय	वसमडिअ, डेमू शेड	10	एस.सी.त्रिवदी	मंडल मंत्री, ईसीआरकेयू
5	कुमार परमानंद	वमसाप्र	11	संतोष कुमार	मंडल सचिव, AISCTREA
6	रविन्द्र कुमार राज	मइं(मुख्या0)			

मदः

मद सं0: 9/23	सोनपुर मंडल के गोला रोड में छः नवनिर्मित रेल आवास का पूल आवंटन किया जाना है।
निर्णय	सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डेमू शेड, परिचालन विभाग, टीआरओ विभाग, इंजीनियिरिंग विभाग, कार्मिक विभाग तथा विद्युत (टीआरडी) विभाग को एक–एक आवास आवंटित किया जाये।

मद सं0: 10/23	डेमू शेड, सोनपुर रेल आवास का पूल का निर्धारण।
निर्णय	(i) वर्तमान में डेमू शेड में कार्यरत कर्मचारियों के अधिपत्य वाले रेल आवास को डेमू शेड के पूल में हस्तानांतरित करते हुये पूल के गठन का निर्णय लिया गया। (ii) साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह के अंतिम कार्यदिवस तक जेनरल पूल में हस्तानांतरित होने वाले रेल आवासों, में से पचास प्रतिशत आवासों को डेमू शेड के पूल में हस्तानांतरित किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग में इस कार्य हेतु नामित व्यवाहारिक लिपिक के द्वारा प्रत्येक माह के समाप्ति के उपरांत अगले माह के प्रथम कार्य दिवस को कुल रेल आवासों की संख्या सहित अमरेप्र महोदय के समक्ष पूल आवंटन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। पूल निर्धारण के उपरांत इस आशय की अधिसूचना निर्गत किया जायेगा। (iii) जेनरल पूल में हस्तानांतरित आवास यदि अगले तीन माह तक किसी को आवंटित नहीं होता है, तो उस आवास को भी अमरेप्र के अनुमोदन से डेमू शेड को हस्तानांतरित कर दिया जायेगा।

मद सं0: 11/23	मंडल लेखापरीक्षा विभाग के द्वारा एक ऑडिट रेफरेंस के माध्यम से तीन कर्मचारियों सर्व/श्री चन्द्रदेव सिंह, भूतपूर्व राजभाषा अधिकारी, श्री मकसूदन सिंह, भूतपूर्व प्रवर लिपिक, अवधेश कुमार वर्मा, भूतपूर्व उपस्टेशन अधीक्षक के विरूद्ध सोनपुर में कार्यरत रहते हुये मुजफ्फरपुर में रेल आवास अवधारित रखने के शीर्ष पर भूतलक्षी प्रभाव से डैमेज रेन्ट की कटौती का सलाह संसूचित है। मामले की जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि तीनों कर्मचारी सोनपुर में पदस्थापना के पूर्व मुजफ्फरपुर में कार्यरत थे। इसी दौरान इन लोगों के पक्ष में मुजफ्फरपुर में रेल आवास आवंटित किया गया। सोनपुर स्थानांतरण के उपरांत इन लोगों के द्वारा उक्त रेल आवास को प्रचलित पद्धतिनुसार अवधारित रखा गया। विदित हो कि प्रचलित पद्धतिनुसार मुजफ्फरपुर में कार्यरत कर्मी के सोनपुर स्थानांतरण होने के फलस्वरूप अपने आवास को अवधारित रखा जाता है। इसी क्रम में दिनांक 26.07.2013 मंडल आवास समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुजफ्फरपुर या उसके 8 किमी0 के परिधि के बाहर कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा मुजफ्फरपुर में रेल आवास का अवधारण अवैध माना जायेगा। इसी क्रम में दिनांक 11.07.2014 को आयोजित मंडल आवास समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंडल *के सृजन के समय या उसके बाद मुजफ्फरपुर में कार्यरत रहते हुए जिन कर्मचारियों के पक्ष में मुजफ्फरपुर में रेल आवास आवंटित है, के अवधारण को मान्य समझा गया।* तदनुसार, ऑडिट रेफरेंस के आलोक में संबंधित पूर्व कर्मचारियों दिनांक 26.07.2013 से 11.07.2014 के बीच की अवधि के लिए डेमेज रेंट कटौती की संसूचना दी गयी।

	उक्त के आलोक में संबंधित कर्मचारियों के द्वारा समर्पित आवेदन को लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित किया गया, जो निष्पादन हेतु प्रतिक्षित है। लंबित ऑडिट रेफरेंस के निष्पादन हेतु दिनांक 22.02.2023 को आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में मामले पर विस्तृत चर्चोपरांत यह निर्णय लिया गया कि *''प्रचलित पद्धतिनुसार मंडल के सृजन के समय या उसके बाद मुजफ्फरपुर में कार्यरत रहते हुए जिन कर्मचारियों के पक्ष में मुजफ्फरपुर में रेल आवास आवंटित है, के अवधारण को मान्य समझा गया है, इसीलिए यह उचित होगा कि दिनांक 26.07.2013 से 11.07.2014 के बीच की अवधि को मंडल आवास समिति के माध्यम से नियमित करा लिया जाए।*
निर्णय	मुजफ्फरपुर में कर्मचारी के कार्यरत रहते हुए आवंटित रेल आवास को सोनपुर स्थानांतरण पर अवधारण प्रचलन में था, जिसे दिनांक 26.07.2013 को आयोजित मंडल आवास समिति की बैठक में अवैध करार दिया गया। हालांकि, दिनांक 11.07.2014 को आयोजित मंडल आवास समिति की बैठक में पुनः यह निर्णय लिया गया कि *मंडल के सृजन के समय या उसके बाद मुजफ्फरपुर में कार्यरत रहते हुए जिन कर्मचारियों के पक्ष में मुजफ्फरपुर में रेल आवास आवंटित है, के अवधारण को मान्य समझा जाए।* चूंकि, दिनांक 26.07.2013 के पूर्व एवं दिनांक 11.07.2014 के पश्चात् भी मुजफ्फरपुर में रेल आवास का अवधारणा मान्य है, इसीलिए बीच की अवधि के लिए भी इस मान्य समझा जाए।

मद सं0: 12/23	मंडल मंत्री, इसीआरकेयू के द्वारा अपने पत्र ECRKU/SEE/यूनि0आ0/1/23 दिनांक 03.03.2023 के माध्यम से मंडल आवास समिति की बैठक के दौरान यह सूचित किया गया कि मुज0 स्थित, ईसीआरकेयू के यूनियन कार्यालय का छत गिर जाने के कारण इसे परित्यक्त घोषित कर दिया गया है। अतः मुजफ्फरपुर स्थित रेल आवास संख्या टी/53/बी, जो रिक्त है, को इसीआरकेयू मुजफ्फरपुर ब्रांच–। एवं ।। के कैम्प कार्यालय के रूप में संचालन हेतु आवंटन पर निर्णय लिया जाना है।
निर्णय	रेल आवास सं0 टी/53/बी को नियमानुसार इसीआरकेयू मुजफ्फरपुर ब्रांच–। एवं ।। के पक्ष में कैम्प कार्यालय के रूप में प्रयोग हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

YOGESH KUMAR Digitally signed by YOGESH KUMAR Date: 2023.03.16 13:56:35 +05'30'

(योगेश कुमार)
अपर मंडल रेल प्रबंधक–।
सोनपुर ।

पत्र सं0: का/301/मंडल आवास समिति/सोन/10, दिनांक /03/2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(i) निजी सचिव मरेप्र– मरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ ।
(ii) अमेरप्र–।।/सोन को सादर सूचनार्थ।
(iii) सभी शाखाधिकारी, सोनपुर मंडल।
(iii) मंडल मंत्री, ईसीआरकेयू, AISCTREA एशो0, सोनपुर मंडल।